[2019] 5 एससीआर 1046।

सुनील कुमार विश्वास
v/s
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और ओआरएस

(2019 की सिविल अपील संख्या 3290) 29 मार्च, 2019

[अभय मनोहर सप्रे और दिनेश माहेश्वरी, जे.जे.]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 – धारा 10 – बोर्डों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को विवादों का संदर्भ – अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4–6 25 वर्षों से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (प्रतिवादी संख्या 1) के साथ काम कर रहे थे – उन्होंने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण का दावा किया – इसके अनुसरण में, उन्होंने कैट के समक्ष प्रतिवादी नंबर 1–3 के खिलाफ ओए दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया – उनके द्वारा दायर रिट याचिका भी खारिज कर दी गई – अपील पर, अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4–6 का उपाय केंद्र सरकार को उनके बीच उत्पन्न विवाद के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण को औद्योगिक संदर्भ देने के लिए आवेदन करने और ट्रिब्यूनल के समक्ष ओए या / और उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके उनकी शिकायत के निर्णय के लिए उनके उपाय को आगे बढ़ाने के लिए आवेदन करने में निहित है ।

अपील खारिज करते हुए कोर्ट

अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4–6 द्वारा उठाए गए विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि उनका उपाय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत एक संदर्भ में औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा उनके कथित विवाद का निपटारा करने में निहित है। इसका कारण यह है कि एक बार किए गए ऐसे विवादों को तथ्यों और सबूतों के आधार पर तय करने की आवश्यकता होती है। तथ्यात्मक विवाद को ट्रिब्यूनल द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में ओए में तय नहीं किया जा सकता है। [पैरा 10 और 11] [1048–सी–डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3290

2019.

2015 के डब्ल्यू.पी.सी.टी. संख्या 82 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 16.07.2015 के निर्णय और आदेश से

1046 सुनील कुमार विश्वास बनाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री

बोर्ड और ओआरएस।

रजत शर्मा, सुभाशीष भौमिक, अपीलकर्ता के वकील।

सुश्री आकांक्षा कौल, अदित खुराना (मुकेश कुमार मरोरिया के लिए), उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय किसके द्वारा सुनाया गया था?

अभय मनोहर सप्रे, जे।

1. छुट्टी दी गई।

2. यह अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2015 के डब्ल्यूपीसीटी संख्या 82 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 16.07.2015 के खिलाफ निर्देशित की जाती है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4–6 द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था।

3. अपील के निपटान के लिए नीचे कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है, जिसमें एक छोटा बिंदु शामिल था।

4. अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4–6 ने 2013 के ओए नंबर 159 में प्रतिवादी नंबर 1–3 (ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एंड अन्य) के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट), कलकत्ता का दरवाजा खटखटाया, जिसमें राहत के लिए प्रार्थना की गई कि उन्हें ठेकेदार द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (यहां प्रतिवादी नंबर 1) के साथ अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है, जो वे पिछले 25 वर्षों से कर रहे हैं। इसलिए, उन्होंने एक राहत का दावा किया कि उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए।

5. ट्रिब्यूनल ने दिनांक 23.05.2013 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4–6 द्वारा दायर ओए को खारिज कर दिया, जिसने कलकत्ता में उच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा रिट याचिका दायर करने को जन्म दिया।

6. आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4–6 का उपाय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (इसके बाद "आईडी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भ देने में केंद्र सरकार से संपर्क करने में निहित है। रिट याचिका की इस अस्वीकृति के खिलाफ, असफल रिट याचिकाकर्ताओं ने व्यथित महसूस किया और इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की है।

7. इसलिए, संक्षिप्त प्रश्न, जो इस अपील में विचार के लिए उठता है, यह है कि क्या ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने ओए और रिट याचिका को खारिज कर दिया था।

8. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, हमें इस अपील में कोई दम नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2019] 5 एस.सी.आर.

9. हमारी राय में, उच्च न्यायालय का यह कहना सही था कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4–6 (रिट याचिकाकर्ताओं) का उपाय केंद्र सरकार को उनके बीच उत्पन्न विवाद के संबंध में आईडी अधिनियम की धारा 10 के तहत औद्योगिक

न्यायाधिकरण को औद्योगिक संदर्भ देने के लिए आवेदन करने में निहित है, लेकिन ट्रिब्यूनल के समक्ष ओए दायर करके उनकी शिकायत के निर्णय के लिए उनके उपाय को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। उच्च न्यायालय में रिट याचिका।

10. अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4–6 द्वारा उठाए गए विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह भी विचार है कि उनका उपाय आईडी अधिनियम की धारा 10 के तहत एक संदर्भ में औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा उनके कथित विवाद को निपटाने में निहित है।

11. कारण यह है कि एक बार किए गए ऐसे विवादों को तथ्यों और सबूतों के आधार पर तय करने की आवश्यकता होती है। तथ्यात्मक विवाद को ट्रिब्यूनल द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में ओए में तय नहीं किया जा सकता है।

12. इसलिए, हमें रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करते समय उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अलावा कोई अन्य दृष्टिकोण लेने का कोई अच्छा आधार नहीं मिलता है।

13. कहने की आवश्यकता नहीं है, यदि आईडी अधिनियम की धारा 10 के तहत उनके अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4–6 के कहने पर औद्योगिक ट्रिब्यूनल को संदर्भ दिया जाता है और विचाराधीन मुद्दे को तथ्यों पर गौर किया जाता है, तो ट्रिब्यूनल द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा कानून के अनुसार सख्ती से निर्णय लिया जाएगा। इन कार्यवाहियों में उच्च न्यायालय और यह न्यायालय।

14. इस प्रकार अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

अंकित ज्ञान की अपील खारिज।

Mayank Prakash

ACJM

Saharanpur